प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यावन'

[26/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 285]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 285 माननीय विधायक - श्री रामसिंह यादव
सदन में चर्चा दिनांक 26.7.16

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ 13-18/2015/तेरह भोपाल, दिनांक 22 JAN 2016

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत
वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

प्रबंध संचालक,
म.प्र.पॉवर जनरेटिंग/ट्रांसमिशन/
मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर।

MD/CGM(HR&A)

विषय-मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही।

:--

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निम्नलिखित विभिन्न प्रकरण/पत्र सहपत्रों सहित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है :-

क्र.	सी. एम. मॉनिट श्रेणी	विभागीय पंजी क्रमांक एवं दिनांक	विषय
1	4847/CMS/AVA/2015/18/12/15	7284 दि. 28/12/15	[illegible]
2	1398/CMS/VAP/2015/18/12/15	7239 दि. 28/12/15	[illegible]
3	1307/CMS/[illegible]/2015 17/12/15	7240 दि. 28/12/15	[illegible]
4			
5			
6			

2/ निर्देशानुसार उक्त पत्रों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर संबंधितों को अवगत कराएं। साथ ही वस्तुस्थिति की जानकारी विभाग को भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।

3/ कृपया A, B तथा C श्रेणी के प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी कम्प्यूटर में भी दर्ज कराई जाना है, अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय से संबंधित नोडल अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बार आने एवं जानकारी कम्प्यूटर में दर्ज करने हेतु निर्देशित करने का भी कष्ट करें, ताकि प्रकरण विलोपित कराये जा सकें। साथ ही प्रकरण की जानकारी प्रेषित करते समय उपरोक्त प्रकरण की श्रेणी, क्रमांक एवं दिनांक प्रत्येक संदर्भित पत्र पर बड़े शब्दों में अंकित करने हेतु भी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 13-18/2015/तेरह भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1 श्री रामसिंह यादव, माननीय विधायक, कोलारस, [illegible] शिवपुरी (म.प्र.) [illegible] 26, आनंद नगर, भूतेश्वर मंदिर के पास [illegible] भोपाल।
2 [illegible] समस्त [illegible]

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अवर सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

O/o MD BHOPAL
R.R. No. 2067 Date 8/1/16
DHRSHIT SHUKLA

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2853 माननीय विधायक श्री रामसिंह यादव
सदस्य के बैठक दिनांक 26.7.16

प्रपत्र-'ब'

कार्यालय : प्रबंध संचालक

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय– बिजली नगर कॉलोनी,निष्ठा परिसर
गोविंदपुरा,भोपाल 462023
फोन आफिस 0755–2602033–34 फैक्स – 2589821
वेबसाइट www.mpcz.co.in
सीआईएन –U40109MP2002SGC015119

प्रकाश एवं विकास

मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्र.प्रसं/म.क्षे./स्था./गोप/II-183/636 भोपाल, दि. 28/6/16

प्रति,

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल

विषयः– श्री रामसिंह यादव, मान. विधायक कोलारस (शिवपुरी) का मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी श्री ओ.पी.शर्मा की सेवाएं वापस न लिए जाने बाबत् पत्र।

\-\-\-

इस कार्यालय के पत्र क्र.830 दिनांक 31–07–2015 के तारतम्य में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा आदेश क्रमांक 10465/स्था/6–2/2015 दिनांक 19–10–2015 के माध्यम से म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दो कर्मचारियों की सेवाएं मान. विधायक कोलारस एवं पिछोर से वापस लेकर कंपनी को सौंपी गई थीं।

उपरोक्त विषय में कलेक्टर शिवपुरी से कंपनी कर्मचारियों को मान. विधायकों की लिपिकीय सुविधा हेतु सेवाएं उपलब्ध कराने बाबत् अभिमत चाहा गया है। अभिमत प्राप्त होते ही तदनुसार कार्यवाही कर आपको अवगत कराया जावेगा।

उक्त तारतम्य में यह भी अवगत कराया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय के आदेश के तहत दोनों कर्मचारियों ने म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, शिवपुरी में उपस्थिति दर्ज करा दी है।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रबंध संचालक

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

आरक्षित प्रश्न क्रमांक 285 माननीय विधायक श्री रामसिंह यादव
सदन में बैठक दिनांक 28.7.16

प्रपत्र 'स'

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 5719 /2016/तेरह
भोपाल, दिनांक 5 JUL 2016

प्रति,

श्री रामसिंह यादव,
माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र 27,
कोलारस (शिवपुरी),
झाँसी तिराहा, ए.बी.रोड,
शिवपुरी, म.प्र.

विषय: निज सहायक श्री ओ.पी.शर्मा, कार्यालय सहायक श्रेणी-2, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी की सेवाएं कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी द्वारा विभाग को वापिस करने से रोकने के लिए निर्देशित करने बावत्।

--

आपका उक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य सचिव महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 8.6.2016, विभाग को मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके निज सहायक के रूप में कार्यरत श्री ओ.पी.शर्मा को कलेक्टर शिवपुरी द्वारा दिनांक 19.10.2015 से उनकी सेवायें आपकी सहमति के बगैर कंपनी को वापिस किये जाने का लेख करते हुए श्री ओ.पी.शर्मा की सेवायें यथावत रखने हेतु कलेक्टर से समुचित आदेश/निर्देश जारी करने की मांग की है।

प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 19 मई,1995 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग के कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार माननीय सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय को हैं। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी राज्य शासन के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते है अतः श्री ओ.पी.शर्मा की सेवाएं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सौंपी गई हैं तथा वर्तमान में श्री ओ.पी.शर्मा कंपनी में कार्यरत हैं।

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेश के अन्तर्गत आपकी मांग अनुसार कलेक्टर शिवपुरी द्वारा राज्य शासन के किसी कर्मचारी की आपके अधीनस्थ कार्य करने हेतु पदस्थापना की जा सकती है।

(प्रमुख सचिव (ऊर्जा) द्वारा अनुमोदित)

(एम. धारीवाल) 5/7/16
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पी-यू.